# HRA Ent USIUSION The Gazette of India

**EXTRAORDINARY** 

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 366] No. 366]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2009/आषाढ़ 2, 1931

o. 366] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2009/ASADHA 2, 1931

#### वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(ई एम अनुभाग)

(भारतीय रिजर्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 20 मई, 2009

सं. फेमा 191/आरबी-2009

# विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) (संशोधन) विनियमावली, 2009

सा.का.नि. 440(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्ब बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 25/आरबी-2000) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :—

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) (संशोधन) विनियमावली, 2009 कहलाएंगे।
  - (ii) वे 4 फरवरी, 2009 से लागू समझे जाएंगे @!

# 2. विनियम में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.25/आरबी-2000) में, विनियम 6 के बाद निम्नलिखित नया विनियम अंत:स्थापित किया जायेगा अर्थात्:—

## ''मालभाडा बचाव

6अ. (i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्देशित आवेदन पर, इस प्रकार की क्रियाविधि के अनुसार भारत में निवासी व्यक्ति, जो इस प्रकार की जोखिम उठाता है, को भारतीय रिजर्व बैंक मालभाड़ा जोखिम के बचाव के लिए भारत से बाहर विनिमय गृह अथवा बाजार में मालभाड़ा व्युत्पन्न संविदा करने के लिए यथा आवश्यक शर्तों पर अनुमति देता है।

(ii) उप-विनियम (ii) में निहित किसी बात के होते हुए भी, विनियम 6 के उप-विनियम (ii) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में विशेष रूप से प्राधिकृत किसी प्राधिकृत व्यापारी को, भारत में निवासी किसी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी अथवा किसी शिपिंग कंपनी, जो इस प्रकार की जोखिम उठाती है, के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों पर मालभाड़ा जोखिम के बचाव के लिए भारत से बाहर विनिमय गृह अथवा बाजार में मालभाड़ा व्युत्पन्न संविदा करने के लिए अनुमति दी जा सकती है।

बशर्ते कि इस प्रकार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के अधीन प्राधिकार का प्रयोग करेगा।''

> [फा. सं. 1/23/ईएम/2000-वाल्यूम-IV] सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:—1. @ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) मूल विनियमावली 3 मई 2000 को सं. सा.का.नि. 411(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी :

सा.का.नि. 756(अ), तारीख 28-9-2000, सा.का.नि. 264(अ), तारीख 9-4-2002, सा.का.नि. 579(अ), तारीख 19-8-2002, सा.का.नि. 522(अ), तारीख 18-3-2003, सा.का.नि. 532(अ), तारीख 9-7-2003, सा.का.नि. 880(अ), तारीख 11-11-2003, सा.का.नि. 881(अ), तारीख 11-11-2003, सा.का.नि. 750(अ), तारीख 28-12-2005, सा.का.नि. 222(अ), तारीख 19-4-2006, सा.का.नि. 223(अ), तारीख 19-4-2006, सा.का.नि. 760(अ), तारीख 7-12-2007 और सा.का.नि. 577(अ) तारीख 5-8-2008 ।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(E M Section)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

## **NOTIFICATION**

Mumbai, the 20th May, 2009

#### No. FEMA 191/RB-2009

# Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2009

- G.S.R. 440(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 25/RB-2000, dated May 3, 2000), namely:—
- 1. Short Title and Commencement.—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2009.
- (ii) They shall be deemed to have come into effect from the 4th day of February, 2009@.

2. Amendment of Regulation.—In the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 25/RB-2000, dated May 3, 2000), after Regulation 6, the following new regulation shall be inserted namely.—

#### "Freight hedge

- 6A. (i) Reserve Bank may, on an application made in accordance with such procedure as may be directed by Reserve Bank, permit a person resident in India, subject to such terms and conditions as may be considered necessary, to enter into a freight derivative contract in an exchange or a market out side India to hedge the freight risk such person is exposed to.
- (ii) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (i) an authorised dealer in India specially authorised by the Reserve Bank under sub-regulation (ii) of Regulation 6 may premit an oil refining company or a shipping company, resident in India, to enter into freight derivative contracts in an exchange or market outside India, to hedge the freight risk which the company is exposed to, subject to such terms and conditions as may be stipulated by the Reserve Bank from time to time:

Provided that such authorised dealer category-I bank shall exercise the authority subject to directions and guidelines issued to them by the Reserve Bank in that behalf."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-incharge

#### Footnote:-

- @It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.
- The principal regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 411(E), dated May 3, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide—

G.S.R. 756(E), dated 28-9-2000,

G.S.R. 264(E), dated 9-4-2002,

G.S.R. 579(E), dated 19-8-2002.

G.S.R. 222(E), dated 18-3-2003,

G.S.R. 532(E), dated 9-7-2003,

G.S.R. 880(E), dated 11-11-2003,

G.S.R. 881(E), dated 11-11-2003,

G.S.R. 750(E), dated 28-12-2005,

G.S.R. 222(E), dated 19-4-2006,

G.S.R. 223(E), dated 19-4-2006,

G.S.R. 760(E), dated 7-12-2007 and

G.S.R. 577(E), dated 5-8-2008.

# अधिसूचना

मुंबई, 25 मई, 2009

सं. फेमा 192/आरबी-2009

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गय) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2009

सा.का.नि. 441(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (क) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2009 कहलाएंगे।
  - (ii) वे सितंबर 2006 के छठे दिन से लागू समझे जाएंगे।
- 2. विनियम 6 में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं, फेमा. 120/आरबी-2004) में, इसके बाद मूल विनियमावली के रूप में उल्लिखित"।

विनियम 6 खंड (1) में, कोष्ठकों, आंकड़े और शब्दों ''(और वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश के मामले में विनियम 7)" के लिए कोष्ठक, आंकड़े और शब्दों "(और वित्तीय सेवा क्षेत्र में लगी भारतीय पार्टी द्वारा निवेश के मामले में विनियम 7)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- 3. विनियम ७ में संशोधन.—विनियम ७ में, मूल विनियमावली में,—
- (i) शीर्षक के लिए निम्नलिखित नए शीर्षक क्रो प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"वित्तीय सेवा क्षेत्र में लगी हुई भारतीय पार्टी द्वारा निवेश"

- (ii) उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा. अर्थात—
  - "(1) भाग I में विनियमों के अधीन, भारत में वित्तीय सेवा क्षेत्र में लगी हुई कोई भारतीय पार्टी भारत से बाहर किसी कंपनी में निवेश कर सकती है।"

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-वाल्यूम. IV] सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

#### पाद टिप्पणी:--

(i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 सरकारी राजपत्र में दिनांक नवंबर 19, 2004 को सं. सा.का.नि. 757 (अ) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् :— अप्रैल 7, 2005 के सा.का.नि. सं. 220 (अ), मई 27, 2005 के सा.का.नि. सं. 337 (अ), अगस्त 31, 2005 के सा.का.नि. सं. 552 (अ), सितम्बर 6, 2006 के सा.का.नि. सं. 535 (अ), जनवरी 5, 2008 के सा.का.नि. सं. 13 (अ), मार्च 25, 2008 के सा.का.नि. सं. 209 (अ), सितम्बर 24, 2008 के सा.का.नि. सं. 676 (अ), अक्तूबर 31, 2008 के सा.का.नि. सं. 756 (अ), फरवरी 20, 2009 के सा.का.नि. सं. 108 (अ), मई 1, 2009 के सा.का.नि. सं. 301 (अ) द्वारा संशोधित किए गए हैं।

(ii) यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विनियम के पूर्वव्यापी
प्रभाव से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं
पड़ेगा।

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 25th May, 2009 No. FEMA 192/RB-2009

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Third Amendment) Regulations, 2009

GS.R. 441(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004, (Notification No. FEMA 120/RB-2004 dated July 7, 2004), namely:—

- 1. Short Title and Commencement.—(i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Third Amendment) Regulations, 2009.
- (ii) These Regulations shall be deemed to have come into effect from the 6th day of September, 2006.
- 2. Amendment of Regulation 6.—In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004, (Notification No. FEMA 120/RB-2004 dated July 7, 2004), hereinafter referred as the principal Regulations.

In Regulation 6 in clause (1), for the brackets, figures and words '(and Regulation 7 in case investment in financial services sector)' the brackets, figures and words '(and Regulation 7 in case investment by an Indian Party engaged in financial services sector)' shall be substituted.

- 3. Amendment of Regulation 7.—In the principal Regulations, in Regulation 7.—
  - (i) For the title, the following new title shall be substituted, namely,—
     "Investment by Indian Party engaged in Financial Services Sector"

- (ii) For sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:—
  - "(1) Subject to the Regulations in Part I, an Indian Party engaged in financial services sector in India may make investment in an entity outside India."

    [F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

# SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager Footnote:—

(i) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 757 (E) dated November 19, 2004 and subsequently amended *vide*—

No. G.S.R. 220(E) dated April 7, 2005,

No. G.S.R. 337(E) dated May 27, 2005,

No. G.S.R. 552(E) dated August 31, 2005,

No. G.S.R. 535(E) dated September 6, 2006,

No. G.S.R. 13(E) dated January 5, 2008,

No. G.S.R. 209(E) dated March 25, 2008,

No. G.S.R. 676(E) dated September 24, 2008,

No. G.S.R. 756(E) dated October 31, 2008,

No. G.S.R. No. 108(E) dated February 20, 2009,

No. G.S.R. 301(E) dated May 1, 2009.

(ii) It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these Regulations.

## अधिसूचना

मुंबई, 2 जून, 2009

सं. फेमा 193/2009-आरबी

# विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) (संशोधन) विनियमावली, 2009

सा.का.नि. 442(अ).—िवदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (च) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 5/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् ,—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) (संशोधन) विनियमावली, 2009 कहलाएंगे ।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- 2. विनियमावली में संशोधन .—विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा राशियां) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 5/2000-आरबी) में विनियम 4, उप-विनियम (3) में खंड (क) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

- "(क) खाते में जमा केवल निम्न के रूप में किया जाएगा:
  - (i) सामान्य बैंकिंग चैनलों के जरिये भारत से बाहर प्राप्त आवक धनप्रेषणों की राशियां; और
  - (ii) भारत में राजनियक शिष्टमंडल के रुपया खाते से निधियों का अंतरण, जो भारत में वीजा शुल्क के रूप में वसूल किया जाता है और ऐसे खाते में जमा किया जाता है।"

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-वाल्यूम. आई वी] सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

## पाद टिप्पणी:—

मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक 5 मई 2000 के सं. सा.का.नि. 388 (अ) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए हैं :

दिनांक 9-4-2002 का सं. सा.का.नि. 262 (अ),

दिनांक 19-8-2002 का सं. सा.का.नि. 577 (अ).

दिनांक 31-12-2002 का सं. सा.का.नि. 855 (अ).

दिनांक 4-8-2004 का सं. सा.का.नि. 494 (अ).

दिनांक 7-4-2005 का सं. सा.का.नि. 221 (अ),

दिनांक 14-11~2005 का सं. सा.का.नि. 663 (अ).

दिनांक 19-1-2006 का सं. सा.का.नि. 28 (अ)

दिनांक 23-7-2007 का सं. सा.का.नि. 495 (अ).

दिनांक 16~10-2007 का सं. सा.का.नि. 664 (अ),.

दिनांक 14-11-2007 का सं. सा.का.नि. 714 (अ).

दिनांक 15-2-2008 का सं. सा.का.नि. 91 (अ),

#### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 2nd June, 2009

No. FEMA 193/2009-RB

# Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment) Regulations, 2009

G.S.R. 442(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 5/2000-RB dated May 3, 2000), namely:—

- 1. Short Title and Commencement.—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Amendment) Regulations, 2009.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment of Regulations.—In the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000, (Notificatrion No. FEMA 5/2000-RB dated May 3, 2000), in Regulation 4, in sub-regulation (3), for clause (a), the following shall be substituted, namely:—

- "(a) credits to the account shall be only by way of :--
- proceeds of inward remittances received from outside India through normal banking channels; and
- (ii) transfer of funds, from the rupee account of the diplomatic mission in India, which are collected in India as visa fees and credited to such account."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-charge Footnote:—

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 388 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide:—

No. G.S.R. 262(E) dated April 9, 2002,

No. G.S.R. 577(E) dated August 19, 2002.

No. G.S.R. 855(E) dated December 31, 2002.

No. G.S.R. 494(E) dated August 4, 2004,

No. G.S.R. 221(E) dated April 7, 2005,

No. G.S.R. 663(E) dated November 14, 2005,

No. G.S.R. 28(E) dated January 19, 2006,

No. G.S.R. 495(E) dated July 23, 2007,

No. G.S.R. 664(E) dated October 16, 2007,

No. G.S.R. 714(E) dated November 14, 2007.

No. G.S.R. 91(E) dated February 15, 2008.